भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5487
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शामिल लागत

†5487. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अपतटीय/अन्य देशों में कच्चे तेल के निष्कर्षण से लेकर उपभोक्ताओं को बेचे जाने तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शामिल लागत कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा इन लागतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की लागत कम हो सकें; और
(ग) सरकार अब तक ऐसी लागतों को कम करने में किस प्रकार सफल रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): तेल और गैस उद्योग में उपभोक्ताओं को अंतिम उत्पादों की बिक्री करने तक विभिन्न लागतें शामिल होती हैं। निकासी से इन लागतों में अन्य बातों के साथ-साथ निकाली गई वस्तु को व्यापार योग्य बनाने से संबंधित लागत, आयात/परिवहन से संबंधित लागत, रिफाइनिंग लागत, विपणन मार्जिन, सांविधिक वसूली आदि की लागत शामिल हैं।

सरकार/तेल और गैस कंपनियों ने दक्षता सुधार, सुव्यवस्थित संभार तंत्र तथा राजकोषीय हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईंधन आपूर्ति लागत को अनुकूलित बनाने के लिए कई उपायों को कार्यान्वित किया है।

रिफाइनिंग और परिवहन में तकनीकी प्रगति के माध्यम से लागत संबंधी कटौतियां हासिल की गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा माल ढुलाई शुल्क को युक्तिसंगत बनाने से परिवहन लागत में काफी कमी आयी है, जिससे शहरी और दूरदराज के क्षेत्रों के बीच मूल्यों का अंतर कम हुआ है। नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार से ईंधन उपलब्धता में और सुधार हुआ है।

सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल हैं।

वर्ष 2022 में उत्पाद शुल्क में कटौती तथा कई राज्यों द्वारा वैट में कार्यनीतिक कटौती जैसे राजकोषीय हस्तक्षेपों ने उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष राहत प्रदान की है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। ओएमसीज ने मार्च, 2024 में पेट्रोल और डीजल प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रूपए प्रति लीटर की कमी की।

भारत दुनिया की एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था रही है जहां हाल के वर्षों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी आयी है। नवंबर 2021 और जनवरी 2025 के मध्य कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में परिवर्तन निम्नानुसार है:

	नवंबर-21 और जनवरी-25 के बीच मूल्यों में परिवर्तन का %	
देश	**पेट्रोल**	**डीज़ल**
भारत (दिल्ली)	-13.60%	-10.92%
फ्रांस	14.21 %	15.08 %
जर्मनी	7.87 %	12.43 %
इटली	8.65 %	11.39 %
स्पेन	8.67 %	12.93 %
यूके	0.08 %	2.61 %
कनाडा	10.52 %	23.05 %
यूएसए	4.83 %	12.86 %

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

वैश्विक स्तर पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 10 करोड़ से भी अधिक गरीब परिवारों को लगभग 35 रुपए/किलोग्राम के प्रभावी मूल्य पर घरेलू एलपीजी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा, पड़ोसी देशों में दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलिंडर का प्रभावी मूल्य निम्नानुसार है-

देश	**घरेलू एलपीजी (रुपए/14.2 किलोग्राम सिलिंडर)**
भारत	503.00*
पाकिस्तान	1094.83
श्रीलंका	1231.53
नेपाल	1206.65

स्रोत- पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

*दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रभावी लागत, गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य 803 रुपए है।

किसी भी स्थल पर गैस अधिप्राप्ति, राज्य कर, प्रशुल्क तथा अन्य घटकों से संबंधित लागत को ध्यान में रखने के बाद ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनी के द्वारा संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मूल्य को निर्धारित किया जाता है।

सरकार ने प्राकृतिक गैस के बढ़ते मूल्यों के प्रभाव को कम करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी)/ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस हेतु दिनांक 07.04.2023 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया है, जिनमें उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससीज) में मूल्यों को सरकार के अनुमोदन हेतु प्रदान किया जाता है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, ऐसी किसी प्राकृतिक गैस का मूल्य भारतीय बास्केट के मासिक औसत के 10% के रूप में निर्धारित होता है तथा मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है। ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा अपने नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) मूल्य 4.0 डॉलर/मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) न्यूनतम और 6.5 डॉलर/ एमएमबीटीयू अधिकतम मूल्य-सीमा के अधीन है। इससे उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में स्थिरता आयी है।

****